

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आपराधिक प्र.क्र.: 462 / 2004

संस्थित दि: 17 / 06 / 2004

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोगी

विरुद्ध

कार्तिक राम उर्फ ठेक पिता हरेसिंह गोंड, जाति गोंड,
साकिन जगला थाना बिरसा जिला बालाघाट(म.प्र.)

— — — — — आरोपी

—:: उपापण — आदेश ::—

(आज दिनांक 15 / 10 / 2014 को उपापित किया गया)

- (01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उपापण पर विचार किया जा रहा है ।
- (02) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा मे है ।
- (03) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया कासनबाई ने दिनांक 06.05.2003 को आरक्षी केन्द्र बिरसा में देहाती नालसी लेखबद्ध करवाई कि दिनांक 04.05.2003 को उसका ससुर गोसाई 9 महीने धरम और सूरज गोंड की बकरी चुराई थी उसके पैसे लेने गया था। वह घर नहीं आया गांव में पता चला कि वह जंगल में मरा हुआ पड़ा है। देहाती नालसी की जांच के आधार पर आरक्षी केन्द्र बिरसा में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध क्रमांक 33 / 03 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया आरोपी कार्तिकराम द्वारा मृतक गोसाई को तितरी से आते समय रास्ते में मारकर हत्या कर दी थी के पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया ।
- (04) उपापण पर उभयपक्षों को सुना गया ।
- (05) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धारा माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, बालाघाट के न्यायालय में उपापित किया जाता है।
- (06) आरोपी को धारा 207 द0प्र0सं0 के अनुसार अभियोग—पत्र की नकलें दी गईं।
- (07) उपापण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी

महोदय, बालाघाट को भेजी जावे ।

(08) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध होने से उसका कमीटल वारंट जारी कर माननीय सत्र न्यायालय बालाघाट के समक्ष दिनांक **29.10.2014** को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रखने हेतु जेल अधीक्षक, उपजेल बैहर को निर्देशित किया जाता है।

(09) प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति नायब नाजिर बैहर की अभिरक्षा में होने से उक्त सम्पत्ति माननीय न्यायालय के समक्ष आगामी नियत तिथि के पूर्व प्रस्तुत करने हेतु नायब नाजिर, बैहर को निर्देशित किया जाता है।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

आदेश मेरे उद्बोधन पर
टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)